

प्रेस नोट दिनांक 25.09.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

—04 अदद देशी बम को साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

—थाना फतनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत छानापार नहर तिराहा के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय कुमार साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ०नि० प्रभांशु कुमार मय हमराह उ०नि० विकास निषाद, हे०का० राजेश यादव, का० सुजीत यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.09.2024 को 04 अदद देशी बम के साथ 01 अभियुक्त शुभम रावत पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के छानापार नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त शुभम रावत पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 04 अदद देशी बम बरामद किया गया। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 212/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शुभम रावत पुत्र रमाशंकर निवासी ग्राम बीरापुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

शुभम रावत पुत्र रमाशंकर का आपराधिक इतिहास का विवरण-

1- मु०अ०सं०- 197/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

04 अदद देशी बम बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० प्रभांशु कुमार मय हमराह उ०नि० विकास निषाद, हे०का० राजेश यादव, का० सुजीत यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

—थाना महेशगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

—थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत आटीडी कम्पनी झींगुर से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 21.09.2024 को आरोपीगणों द्वारा आईटीडी प्लांट से सरिया चोरी करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 199/2024 धारा 303,317(2) बीएनएस बनाम बरामद बोलेरो गाडी व 01 अन्य साथी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष पुष्पराज सिंह थाना महेशगंज के उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह उ0नि0 ध्रुव सिंह, का0 रामप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज के मु0अ0सं0 199/2024 धारा 303,317(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामखेलावन यादव निवासी रामनगर थाना थरवई जनपद प्रयागराज को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत आटीडी कम्पनी झींगुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- वीरेन्द्र उर्फ महेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामखेलावन यादव निवासी रामनगर थाना थरवई जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह उ0नि0 ध्रुव सिंह, का0 रामप्रकाश थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा, जनपद- प्रतापगढ़

-प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

- मारपीट/ गाली गलौज, हत्या के प्रयास के अभियोग में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना जेठवारा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत काछा भड़रा मस्जिद के पास से 03 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.09.2024 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम काछा भड़रा में वादिनी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो, कुल्हाडी,से मारपीट करने आदि आरोपों में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 247/24 धारा 191(2), 191(3),190, 115(2),352,351(3),109,110, 331 बी0एन0एस0 बनाम 13 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जेठवारा धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 आशीष पटैरिया मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय,हो0गा0 शिवशरण द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 247/24 धारा 191(2), 191(3),190, 115(2),352,351(3),109,110, 331 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त 1- मो0 वैश पुत्र मो0 आशिक अली,

2- आबिद अली पुत्र मो0 समसुद्धीन, 3- मो0 शमशाद पुत्र सामुद अली निवासीगण ग्राम काछा भड़रा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र जेठवारा के क्षेत्रान्तर्गत काछा भड़रा मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

- 1- मो0 वैश पुत्र मो0 आशिक अली निवासी ग्राम काछा भड़रा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
- 2- आबिद अली पुत्र मो0 समसुद्धीन निवासी ग्राम काछा भड़रा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
- 3- मो0 शमशाद पुत्र सामुद अली निवासीगण ग्राम काछा भड़रा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 आशीष पटैरिया मय हमराह हे0का0 दुर्गविजय, हो0गा0 शिवशरण थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

- पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,
- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
- वादी मुकदमा की पुत्री को आरोपित द्वारा अपहरण/ दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

-थाना सांगीपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कलुआ घाट पुल से 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को आरोपी द्वारा अपहरण/ दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 24.09.2024 को अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अमन पुत्र विनोद सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम औरीपुर नौगीर(पूरे डींगूर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत कलुआ घाट पुल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- अमन पुत्र विनोद सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम औरीपुर नौगीर(पूरे डींगूर) थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का0 सर्वेन्द्र सिंह चौहान थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना एचटीयू

अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध/बालश्रम/बंधुआ मजदूरी/बालभिक्षावृत्ति रोकथाम-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध/बालश्रम/बंधुआ मजदूरी/ बालभिक्षावृत्ति रोकथाम के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ श्री डा० अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी/ नोडल अधिकारी श्री संजय कुमार राय के पर्यवेक्षण में प्रतापगढ़, थाना ए०एच०टी० प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह यादव मय हमराह हे०का० फिरोज सिद्धीकी व का० जितेन्द्र सिसोदिया व का० आलोक कुमार सिंह व श्रम प्रवर्तन अधिकारी कुँवर सिंह के साथ एक युद्ध नशे के विरुद्ध /बालश्रम/बंधुआ मजदूरी /बालभिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति/भिक्षावृत्ति रोकथाम के अन्तर्गत थाना क्षेत्र कोतवाली देहात व जेठवारा में होटल/ढाबा/गैराज /ईट भट्टा आदि को चेक किया गया तो 06 बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया।

नियोजको के विरुद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा चालानी नोटिस निर्गत की गयी एवं नियोजको को हिदायत दिया गया कि नाबालिग बच्चों से बालश्रम कराना कानूनन अपराध है। एवं कोटपा एक्ट 2003 के तहत दुकानदारो को हिदायत दिया गया कि सरकारी भवन/ शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के परिधि मे गुटखा/तम्बाकू आदि नशीले पदार्थ न बेचें। “एक युद्ध नशे के विरुद्ध”/बालश्रम/बंधुआ मजदूरी/बालभिक्षावृत्ति अभियान के बारे में लोगो को बताया गया व जागरुक किया गया।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

—पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

—प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

—थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को कुल 3700/-रूपये के साथ किया गया गिरफ्तार

—थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के ग्राम कम्भीट में पुलिया से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.10.2023 को थानाक्षेत्र लालगंज ग्राम पूरे छतरू(ढिगौसी) में वादी के घर का ताला तोड़कर हुई चोरी के संबंध में थाना स्थानीय पर वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु०अ०सं० 400/2023 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री

रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लालगंज निरीक्षक नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 श्री कबीर दास मय हमराह उ0नि0 श्री ज्ञानचन्द तिवारी, का0 गणेश यादव, का0 कमलेश द्वारा दिनांक 25.09.2024 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी के मुकदमें से संबंधित मु0अ0सं0 400/2023 धारा 457, 380 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों 1- विक्रम सिंह उर्फ राजा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम इटैली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 2-अश्वनी पाण्डेय उर्फ राहुल पाण्डेय पुत्र राधानन्द पाण्डेय निवासी ग्राम सिधौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कम्भीट में पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 3700/- रुपये बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- विक्रम सिंह उर्फ राजा पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम इटैली थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 2- अश्वनी पाण्डेय उर्फ राहुल पाण्डेय पुत्र राधानन्द पाण्डेय निवासी ग्राम सिधौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा अपने साथियों के साथ ग्राम पूरे छतरू(ढिगौसी) में करीब एक साल पहले चोरी किये थे। चोरी के सामान को बेचकर जो पैसा मिला था उसे बेचकर हम लोगो ने आपस में बराबर-बराबर बाँट लिये थे। आज जो पैसे हम लोगों की जेब से मिले हैं उसी चोरी के पैसे हैं। पुलिस के डर से हम लोग बच बचाकर रहते थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्री कबीर दास मय हमराह उ0नि0 श्री ज्ञानचन्द तिवारी, का0 गणेश यादव, का0 कमलेश थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

- एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- एसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश
- गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी/ निगरानी उ0नि0 श्री अतुल यादव व आरक्षी दिलीप कुमार थाना देल्हूपुर द्वारा की जा रही थी आरक्षी दिलीप कुमार के अथक प्रयास से गैंगस्टर सूर्य प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया
- उ0नि0 श्री अतुल यादव व आरक्षी दिलीप कुमार के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा उ0नि0 श्री अतुल यादव व आरक्षी दिलीप कुमार को प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया
- दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी
- गैंगस्टर सूर्य प्रताप सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ पर गम्भीर धाराओं में थाना मान्धाता में दर्ज हैं अभियोग

-अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

-थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रयागराज से प्रतापगढ़ हाइवे से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय कुमार साहनी के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष धनंजय राय थाना देल्हूपुर के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर पर दिनांक 21.09.2024 को मु०अ०सं० 146/2024 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम (गैंग लीडर) 1- (गैंगलीडर) गैंगस्टर सूर्य प्रताप सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ व (गैंग के सदस्य) 2- शुभम शर्मा पुत्र रामलवट शर्मानिवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना देल्हूपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी जा रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 25.09.2024 को क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय कुमार साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धनंजय राय मय हमराह उ०नि० अतुल यादव, उ०नि० हरेन्द्र सिंह, का० दिलीप कुमार, का० सर्वेश पाण्डेय, का० अतुल कुमार दुबे द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, वाहन चेकिंग, विवेचना के दौरान प्रयागराज से प्रतापगढ़ हाइवे से गैंगस्टर सूर्य प्रताप सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर (गैंगलीडर) सूर्य प्रताप सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह व इसके गैंग के सदस्यों द्वारा दिनांक 11.02.22 को वादिनी की नाबालिक पुत्री के दुष्कर्म करने के प्रकरण में थाना मान्धाता पर वादिनी की तहरीर के आधार पर दिनांक 21.02.22 को अन्तर्गत धारा 376डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गैंगस्टर सूर्य प्रताप सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गैंगस्टर सूर्य प्रताप सिंह पुत्र शीतला प्रसाद सिंह निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

01- अन्तर्गत धारा 376डी भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

03- मु०अ०सं० 146/24 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष धनंजय राय मय हमराह उ०नि० अतुल यादव, उ०नि० हरेन्द्र सिंह, का० दिलीप कुमार, का० सर्वेश

पाण्डेय, का० अतुल कुमार दुबे थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।